फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर बस्सी जिला जयपुर ग्रामीण

केशरा बनाम हनुमान

प्रार्थना पत्र संख्या 131/2024

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
06.12.2024	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता एवं अप्रार्थी सं. 1 व 2 के अधिवक्ता उपस्थित। मूलवाद वाद पत्र में अप्रार्थी सं. 3 लगायत 7 की संम्यक तामिल मानी जाकर एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जा चुकी है। अप्रार्थी सं. 1 व 2 के अधिवक्ता ने जवाब प्रस्तुत नहीं करके सीधे बहस हेतु निवेदन किया। उभयपक्ष अधिवक्ता की प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पर ध्यानपूर्वक बहस सुनी गयी। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन करने एवं उभयपक्ष अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस जाहिर तथ्यों पर मनन करने के उपरान्त विवादित खसरा नं0 400 रकबा 2.1876 हैक्ट., खसरा नं. 411 रकबा 2.4531 हैक्ट. स्थित ग्राम श्यामपुरा कचौलिया पटवार हल्का श्यामपुरा कचौलिया भू0अ0नि0 लालगढ तह0 बस्सी जिला जयपुर के संबंध में उभयपक्षों को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि विवादित आराजी से संबंधित मूलवाद 141/2024 उनवान केशरा बनाम हनुमान के ताफैसला वाद उक्त खसरा नम्बर पर मौके एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनायें रखें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर होकर दर्ज नम्बर से कम हो। सहायक कलक्टर बस्सी, जयपुर ग्रामीण	